



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-37

आर.बी.ई. सं.- 16/2021

मिसिल संख्या ई/254/2/पार्ट-23/चार IV

दिनांक 24.05.2021

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- 33 एवं 1/3 प्रतिषत और 16 एवं 2/3 प्रतिषत कोटा के तहत वाणिज्यक-सह-टिकट क्लर्क, ग्रेड वेतन 2000 रु. (लेवल-1) के पद के चयन के लिए अर्हता मानदंड ।

रेलवे बोर्ड का पत्र E(NG)I-2018/CFP/5 Dated 04-03-2021 की प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक/यथोपरि

(बसन्त लाल)

वकाधि/आर.पी.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

दिनांक... 26/3/2021

प्रमाणित

मुद्रांक

Dy. Secy to Govt
SPJ/HQ

आर.बी.ई. सं.16/2021

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) / (RAILWAY BOARD)

NER

सं.ई(एनजी)-2018/सीएफपी/5

नई दिल्ली, दिनांक 04.03.2021

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: 33 एवं 1/3 प्रतिशत और 16 एवं 2/3 प्रतिशत कोटा के तहत वाणिज्यिक-सह-टिकट क्लर्क, ग्रेड वेतन 2000 रु. (लेवल-1) के पद के चयन के लिए अर्हता मानदंड।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के अनुसार, टिकट चैकिंग स्टाफ के वेतनमान ग्रेड वेतन रु. 1900 को ग्रेड वेतन रु. 2000 (लेवल-3) तक अपग्रेड किया गया था। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद जारी, आरबीई सं.28/2018 के संदर्भ में, वाणिज्यिक-सह-टिकट क्लर्क लेवल-3 के पद निम्नानुसार भरे जाएंगे:-

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;
(ii) 33 एवं 1/3 प्रतिशत पूर्ववर्ती ग्रेड वेतन 1800 रु. (लेवल-1) में यातायात और वाणिज्यिक स्टाफ से साधारण चयन द्वारा; और
(iii) 16 एवं 2/3 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।

2. 33 एवं 1/3 प्रतिशत और 16 एवं 2/3 प्रतिशत के पदोन्नति कोटा के तहत लेवल-3 तक अपग्रेड किए गए टीई/सीसी कोटि में रिक्त पदों को भरने के लिए अर्हक कोटियों से संबंधित मामले पर वाणिज्यिक निदेशालय और दो मान्यताप्राप्त फेडरेशनों अर्थात् एआईआरएफ और एनएफआईआर के परामर्श से विचार किया गया है।

3. उक्त आरबीई सं.28/2018 में अंतर्विष्ट अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह विनिश्चय किया गया है कि:-

- (i) उक्त संदर्भित 33 एवं 1/3 प्रतिशत कोटा परिचालन और वाणिज्यिक विभागों के सफाईवाला पद सहित लेवल-1 और लेवल-2 के स्टाफ से साधारण चयन द्वारा भरा जाएगा।

- (ii) 16 एवं 2/3 प्रतिशत कोटा परिचालन और वाणिज्यिक विभागों के लेवल-1 और लेवल-2 स्टाफ से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाएगा।
- (iii) आरबीई सं.77/2016 के संदर्भ में सभी विभागों के सफाईवाला पदों के कर्मचारी भी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा के तहत अर्हक होंगे।

4. कृपया पावती दें।

डी जोसफ
(डी. जोसफ)

संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(एनजी)-2018/सीएफपी/5

नई दिल्ली, दिनांक 04.03.2021

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसो. कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया, एससी एंड एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन (कम)
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

Pa. 22/03/2021
(माली)

RBE No. 16/2021

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2018/CFP/5

New Delhi, dated March 04, 2021

The General Manager(s),
All Zonal Railways & PUs etc.
(as per Standard Mailing list)

Sub: Eligibility criteria for selection to the post of Commercial-cum-Ticket Clerk, GP Rs.2000 (Level-I) against 33&1/3% and 16&2/3% quotas.

Pursuant to acceptance of 7th CPC recommendations, the pay scale of Ticket Checking staff in GP Rs. 1900 was upgraded to Rs. 2000 (Level-3). In terms of RBE No. 28/2018, issued after the acceptance of the 7th CPC recommendation, the posts of Commercial-cum Ticket Clerk in Level-3 are to be filled up as under:-

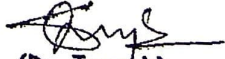
- (i) 50% by Direct Recruitment;
- (ii) 33&1/3% by General Selection from Traffic and Commercial staff in erstwhile GP Rs.1800 (Level-1); and
- (iii) 16&2/3% by LDCE.

2. The matter regarding eligible categories for filling up the vacancies in the categories of TE/CC, upgraded to Level-3, against the promotional quotas of 33&1/3% and 16&2/3%, has been under consideration in consultation with the Commercial Directorate and the two recognized Federations i.e. AIRF and NFIR.

3. In partial modification of the instructions contained in RBE No. 28/2018 ibid, it has now been decided as under:-

- i) 33&1/3% quota referred to above will be filled by General Selection from staff in Level-1 and Level-2 including Safaiwalas of Operating and Commercial Departments.
- ii) 16&2/3% quota will be filled by LDCE from staff in Level-1 and Level-2 of Operating and Commercial Departments.
- iii) Safaiwalas of all Departments would also be eligible against LDCE quota in terms of RBE No. 77/2016.

4. Please acknowledge receipt.


(D. Joseph)
Joint Director Estt. (N)
Railway Board

...contd.. 2/-

सभी मण्डल रेल प्रमुख
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- Payment of lump sum compensation to employees covered under NPS
on retention in railway service in spite of disablement attributable of
railway service in accordance with Rule 10(3) of the Railway
Rules 1993-regarding

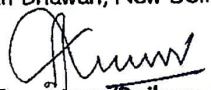
-2-

No. E(NG)I/2018/CFP/5

New Delhi, dated March 04, 2021

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, AIRPFA, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
13. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.


For Secretary/Railway Board

PSs to MR,

PPSs to CRB & CEO, M (Infra) , M(T& RS), M(O&BD), M (Fin)., Secretary, DG/HR, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDRS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), ED(T&MPP), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G), and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(N), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A) II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.
